कार्यालय नगर परिषद अजमेर

<u>सूचना का अधिकार अधिनियम 2005</u>

नगर परिषद अजमेर में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 20 फरवरी 2006 से प्रारम्भ किया गया जो कि वर्तमान में भी प्रचलित है।

प्रकरण जो प्राप्त होते है उनको सम्बन्धित विभागों में कार्यवाही हेतु भिजवा दिया जाता है, जिन पर विभागो द्वारा कार्यवाही की जाती है। कार्यवाही नहीं होने की दशा में विभागाध्यक्षों को समय–समय पर स्मरण–पत्र व अर्द्धशासकीय–पत्र जारी किये जाते है, ताकि प्रार्थी को सूचना समयावधि में उपलब्ध कराई जा सके।

अपीलों पर दिनांक निश्चित कर सुनवाई की जाती है, तथा निर्णय पारित कर उभय पक्षकारों को निर्णय से अवगत करा दिया जाता है।

आवेदन पत्र परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराये जाते है, तथा सामान्य पत्र के द्वारा भी आवेदन स्वीकार किये जाते है।

<u>शुल्क का विवरण</u>

1 आवेदन पत्र शुल्क :– 10/– प्रति आवेदन

2 **दस्तावेज शुल्कः–**

- ❑ A4/A3 Paper :– 2/– प्रति पेज
- ❑ कम्प्यूटराईज्ड पेज :– 10/– प्रति पेज
- ❑ नक्शे व अन्य प्रपत्र :– वास्तविक कीमत

<u>परिषद में लोक सूचना अधिकारी</u>

लोक सूचना अधिकारी	:	आयुक्त (प्रशासन) एवं आयुक्त (विकास)
सहायक लोक सूचना अधिकारी	:	सचिव अधिशाषी अभियंता स्वास्थ्य अधिकारी लेखाधिकारी राजस्व अधिकारी (अन्यकर) राजस्व अधिकारी (योजना) विधि अधिकारी

परिषद द्वारा इन लोक सूचना अधिकारियों एवं सहायक लोक सूचना अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही की जाती है।

परिषद में अपील अधिकारी

अपील अधिकारी : सभापति

सभापति महोदय द्वारा सूचना के अधिकार के तहत् प्राप्त अपीलो पर नोटिस देकर उभय पक्षकारों (लोक सूचना अधिकारी एवं प्रार्थी) के मध्य सुनवाई की जाती है तथा आवश्यक निर्णय देकर अपील को निस्तारित करने का कार्य किया जाता है।

शुल्क की राशि नकद/बैक ड्राफ्ट/बैकर चैक अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में जमा की जाती है।